अध्याय- प्रथम
प्रस्तावना

प्राचीन काल से इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है कि भारत में वृद्धजनों की स्थिति अत्यंत उन्नत एवं सम्माननीय रही है। उनका समाज एवं परिवार में एक अलग वर्चस्व रहा है। परिवार की समस्त बागडोर उनके हाथों में हुआ करती थी। परिवार का हर फैसला उनके सलाह व मसवरे के आधार पर होता था। उन्हीं की सत्ता एवं प्रभाव के कारण पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे। वे परिवार के सदस्यों को एक धागे में बांधें रखते थे। परंतु भौतिकतावादी युग में वृद्धों की समस्याएँ बढ़ी है और समाज में उनकी उपयोगिता भी कम हुई है। बुढ़ापा जीवन का अंतिम पड़ाव है। इस उम्र में कार्य करने की क्षमता कमजोर हो जाती है। ऐसी अवस्था में परिवार के सदस्यों द्वारा उनकी उपेक्षा चिंता का विषय है।

वृद्धों को हमेशा से जैविक सामाजिक संस्थानों की छत्रछाया में एक सम्मानपूर्ण और उच्च स्थान मिलता रहा है जिसमें संयुक्त परिवार प्रणाली ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वृद्धों की देखभाल और सुरक्षा मूल्य प्रणालियों में अभिन्न रूप से जुड़ी हुई थी। आधुनिक और वैश्वीकरण के उत्थान और उनके साथ आने वाले घटनाक्रमों जैसे औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, देशांतरगमन ने सामाजिक संस्थानों पर दवाब बढ़ा दिया है। परिणामस्वरूप सामाजिक संस्थान तेजी से कमजोर पड़ रहे हैं और बदल रहे हैं। संयुक्त परिवार प्रणाली के विघटन और एकल परिवार के आविर्भाव और साथ ही बढ़ती हुई जीवन की अपेक्षा और वयोवृद्ध आबादी में आसाधारण वृद्धि ने समाज में वृद्धों के कल्याण और देखभाल के लिए प्रतिकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दी है। विकसित और विकासशील देशों में वृद्ध आबादी की आयु रचना में परिवर्तन हुआ है। वृद्ध आबादी के मुद्दे और समस्याएं गहरी चिंता का विषय रही है और विकास के लिए एक चुनौती खड़ी करती है।

बुजुर्गों को अपने भरण-पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। यही निर्भरता बुजुर्गों कीमूल समस्याओं में से एक है। शारीरिक एवं आर्थिक दृष्टि से घुटन भरी जिन्दगी जीने को विवश हो जाते हैं। चाहे वह शिक्षित या अशिक्षित ही क्यों न हो। इस अवस्था में उनकी गाड़ी चरमराने लगती है। वह युवा पीढ़ी से तालमेल नहीं बैठा पाते हैं जिससे उनकी समस्याओं में वृद्धि हो जाती है। विश्व में समाज का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है, जहाँ वृद्धावस्था में बुजुर्गों को सामाजिक एवं आर्थिक असुरक्षा का कष्ट झेलना पड़ता है। नई पीढ़ी वृद्धों को महत्व नहीं देते हैं। इस व्यवस्था में बच्चों एवं बुजुर्गों के भरण-पोषण एवं देखरेख की जिम्मेदारी परिवार के सक्षम सदस्यों के ऊपर होती थी। किन्तु कालान्तर में विश्व स्तरीय सामाजिक बदलाव के परिणाम स्वरूप संयुक्त परिवार की व्यवस्था एकल परिवार के रूप में परिवर्तित होनी प्रारंभ हुई जिससे बुजुर्ग नागरिकों के भरण-पोषण एवं देखभाल तथा सुरक्षा इत्यादि की समस्याएँ एक सामाजिक और अन्ततोगत्वा राष्ट्रीय समस्या के रूप में सामने आई।

- परिणामस्वरूप लोक कल्याणकारी राज्य होने के नाते भारत सरकार ने संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नीतियां एवं योजनाओं के निर्माण पर अपना ध्यान केन्द्रित किया। *पहली बार देश में आम नागरिकों के लिए 60 साल की उम्र से ज्यादा होने पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन मुहैया कराने का प्रयास 1977 में स्थापित जनता*

पार्टी की केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। जिसे बाद की सरकारों ने भी जारी रखा और समय-समय पर पेंशन की राशि में इजाफा भी किया गया।

- आजादी के समय भारतवर्ष में 60 वर्ष की आयु से अधिक आयु वाली आबादी लगभग सवा करोड़ थी जो 1951 में बढकर दो करोड़ तथा 1991 में साढ़े पांच करोड़ से अधिक हो गई। यह वृद्धि लगभग 180 प्रतिशतहुई है।
- वृद्धावस्था को जीवन की समापन की अवधि कहते हैं। वृद्धावस्था को आयु, सक्रियता एवं शारीरिक रूप से अक्षम इत्यादि आधारों पर परिभाषित किया गया है।

वरिष्ठ नागरिकों की परिभाषा कुछ विद्वानों ने इस प्रकार दी है :

अधिकांश देशों में वरिष्ठ नागरिक या बुजुर्ग व्यक्ति की आयु निर्धारित करने के लिए कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है।

- ***संयुक्त राष्ट्र संख्यात्मक मानक कसौटी*** *(UN Standard Numerical Criterion)* नहीं है,लेकिन संयुक्त राष्ट्र (UN) बुजुर्गों की आबादी के लिए 60+ वर्ष की सीमा पर सहमत है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 60+ से अधिक आयु के व्यक्ति को वरिष्ठ नागरिक माना जाता है।
- ***UNO के ही एक अंग विश्व स्वास्थ्य संगठन*** *(WHO)* ने 60 वर्ष से अधिक आयु को वृद्ध जनसंख्या में परिभाषित किया है।
- ***भारत सरकार की राष्ट्रीय वृद्धजन नीति*** *(1999)* उन व्यक्तियों को वरिष्ठ नागरिक माना है जो 60 वर्ष या उससे अधिक है।
- ***ग्लोबल एज वाच इंडेक्स*** *(2013)* पर्यावरण के विकास में बुजुर्गो की जरूरतों का ख्याल रखने के मामले में *भारत को 91 देशों की सूची में 72वें स्थान पर रखा गया है* दरअसल, हमारी अर्थव्यवस्था जैसे-जैसे उदार हो रही है, बुजुर्गो की दैनिक एवं भावनात्मक जरूरतों की चिंता कम होती जा रही है। आर्थिक विकास की रफ्तार तेज करने और शहरीकरण की होड़ में हमारा पारंपरिक सामाजिक ढांचा टूटता जा रहा है, जिससे वृद्धजनों की उपेक्षा लगातार बढ़ती जा रही है, पहले से आबादी का दबाव सह रहे बुनियादी ढांचे और संसाधनों पर बोझ के रूप में देखा जा रहा है, जबकि, वृद्धावस्था वास्तव में मानव जीवन में एक नये अध्याय की शुरुआत होती है। इस आयु में व्यक्ति व्यावहारिक ज्ञान एवं अनुभवों से परिपूर्ण होता है। इस कारण वह न केवल विकास का मार्गदर्शन कर सकता है। बल्कि उसमें एक नयी ऊर्जा का संचार भी कर सकता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि देश और समाज वृद्धजनों के ज्ञान का अधिकतम इस्तेमाल करने की राह तलाशे, उनकी रचनात्मकता एवं उत्पादकता का बेहतर इस्तेमाल करने की रणनीति तैयार करे। देश की दस करोड़ से अधिक आबादी को विकास की प्रक्रिया में भागीदार बनाये बिना तीव्र विकास का सपना अधूरा ही रहेगा।
- ***भारत में स्वास्थ्य*** *(2014)* के 71वें दौर के सर्वेक्षण के अनुसार देश में वृद्ध व्यक्तियों की संख्या 87.7 मिलियन पाई गई। ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्ध व्यक्तियों का प्रतिशत 7.7% एवं क्षेत्रों में 8.1% था। वृद्ध व्यक्तियों में लिंगानुपात (1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या) ग्रामीण क्षेत्रों में 1035 और नगरीय क्षत्रों में 1029 था। भारत में जनवरी-जून 2014 के दौरान दोनों क्षेत्रों में करीब 96% वृद्ध व्यक्तियों के पास का से कम एक जीवित बच्चा था। ग्रामीण क्षेत्र में करीब 61% वृद्ध व्यक्ति एवं नगरीय क्षेत्रों में 63% वृद्ध व्यक्ति अपने अपने

पति/पत्नी के साथ रह रहे थे। अधिक से अधिक 52% वृद्ध व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में एवं 51% नगरीय क्षेत्रों में अपने भरण-पोषण के लिए दूसरे पर आश्रित थे नगरीय क्षेत्रों में आर्थिक रूप से आश्रित वृद्ध व्यक्तियों में 82% ग्रामीण क्षेत्र में एवं 80% नगरीय क्षेत्रों में वितीय सहायता के लिएअपने बच्चों पर ही निर्भर थे। ग्रामीण वृद्ध व्यक्तियों में करीब 8% एवं नगरीय क्षेत्रों में 7% या तो अपने घर में बंद थे या बिछावन पर। 80+ उम्र समुह के लिए नगर में 27% एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 34% व्यक्तियों के लिए अगतिशीलता का रिपोर्ट किया गया।

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट 2015-16 के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों की स्थिति :

वर्तमान समय में दुनिया में करीब 70 करोड़ लोग 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन हैं जो दुनिया की कुल आबादी का करीब 10 फीसदी है। 2050 तक 60 साल से अधिक आयु के लोगों की संख्या 2 अरब तक पहुंच जाएगी जो दुनिया की कुल आबादी का करीब 20 फीसदी होगी। इस दौरान वृद्धजनों की संख्या विकासशील देशों में सबसे तेज गति से बढ़ेगी। 60 साल से अधिक आयु के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा एशिया में होगी। 2050 के आस-पास मानवता के इतिहास में यह पहली बार होगा कि धरती पर 60 साल से अधिक आयु के लोगों की संख्या बच्चों से अधिक होगी। 60 वर्ष से अधिक आयु वालों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है। 80 वर्ष से अधिक वालों में महिलाओं की संख्या पुरुषों से दोगुनी और सौ साल से अधिक उम्र वालों में महिलाओं की संख्या चार से पांच गुनी है।

मीणा, टी. आर.(2011) राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, *भारत में वृद्धों की देखभाल – एक राष्ट्रीय पहल* में लिखते हैं कि वैश्विक स्तर पर हो रहे इस बदलाव से भारत भी अलग नहीं है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में वरिष्ठनागरिकों की आबादी 7.6 करोड़ से अधिक थी, जो 2011 में बढ़ कर करीब 9.8 करोड़ हो गयी। इस एक दशक में देश में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 39.3 फीसदी की दर से बढ़ी और देश की कुल आबादी में उनकी हिस्सेदारी 2001 की 6.9 फीसदी की तुलना में 2011 में 8.3 फीसदी हो गयी। देश में वृद्धजनों की संख्या अब दस करोड़ से अधिक हो चुकी है। दरअसल पिछले एक दशक में ही भारत में जीवन प्रत्याशा में करीब पांच साल का इजाफा हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रलय द्वारा इसी साल जारी आंकड़ों के मुताबिक 2001-05 की अवधि में जीवन प्रत्याशा पुरुषों के लिए 62.3 साल, जबकि महिलाओं के लिए 63.9 साल थी जो 2011-15 में बढ़ कर क्रमश: 67.3 और 69.6 साल हो गयी है।

ऊपर दिये गये आंकड़े बताते हैं कि दुनिया के जनसांख्यिकीय पैटर्न में एक बड़ा बदलाव आ रहा है जिससे धरती पर आबादी का चेहरा बदल रहा है। ज्यादातर देशों में जीवन प्रत्याशा में हो रही वृद्धि के चलते वृद्धजनों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। बदलाव की यह दिशा यानी कुल आबादी में वृद्धजनों की हिस्सेदारी बढ़ने की रफ्तार हाल के कुछ दशको में तेज हुई है। सन् 1950 से 2010 के बीच दुनियाभर में मेडिकल साइंस की तरक्की, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ने और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के परिणामस्वरूप जीवन प्रत्याशा 46 साल से बढ़ कर 68 साल हो गयी है और उम्मीद की जा रही है कि इस सदी के अंत तक यह 81 साल हो जाएगी। ऐसे में आधुनिक विकास की

राह में वृद्धजनों को सहभागी बनाकर जनसांख्यिकीय पैटर्न में आ रहे इस बदलाव को एक नये अवसर के रूप में तब्दील करने की जरूरत दुनियाभर में महसूस की जा रही है।

माता-पिता एवं विरष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 :

15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आजादी मिलने के पश्चात भारत की पहचान विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में बनी। तत्पश्चात 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपने आपको विश्व के सबसे बड़े गणतांत्रिक देश के रूप में स्थापित किया। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं से यह स्पष्ट होता है कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य देश है जिसका स्वरूप लोक कल्याणकारी राज्य का है। ऐसी स्थिति में राष्ट्र के सभी नागरिकों की देखरेख, भरण-पोषण, सुरक्षा एवं संरक्षा का दायित्व राष्ट्र का है। जैसाकि भारत के गौरवमयी अतीत से यह स्पष्ट है कि भारत में सांस्कृतिक मूल्य बहुत ही सुदृढ़ रही है जिसका अनूठा उदाहरण संयुक्त परिवार की परिकल्पना एवं अवधारणा में अच्छी तरह से दृष्टिगोचर होता है।

अधिनियम की ऐतिहासिकता एवं अवश्यकता :

भारत सरकार वृद्धों के कल्याण के लिए एक समर्थक पर्यावरण बनाने के लिए पूरी तरह से समर्पित है। इसलिए वृद्ध व्यक्तियों द्वारा सक्रिय और उत्पादक जीवन गुजारने के लिए एक समर्थकारी पर्यावरण बनाने के लिए नीतियों का सूत्रीकरण और कर्यान्वयन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में चल रही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने कुछ और उदारता दिखाई और वृद्धजन राष्ट्रीय नीति (एनपीओपी) की घोषणा हुई। दूसरी तरफ सामाजिक संगठनों का दबाव बढ़ता जा रहा था। परिणाम स्वरूप 2007 और 2008 में डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में चल रही संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार ने दो महत्वपूर्ण काम किए जिसके तहत माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 को 31 दिसंबर 2007 में पारित किया गया व 26 सितम्बर 2008 को लागू किया गया तथा असंगठित क्षेत्र के बुजुर्ग मजदूरों के लिए रोजगार विनियमन एवं सामाजिक सुरक्षा प्रावधान सुनिश्चित किए गए। सरकार की नीतियां जितनी लोक लुभावनी एवं जन कल्याणकारी देखने में लगती है इनकी वास्तविकता उतनी ही अलग है और आज भी देश में बुजुर्ग व्यक्तियों की सुरक्षा एवं संरक्षा एक विकराल समस्या के रूप में खड़ी है। माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 भारत सरकार की एक और महत्वपूर्ण पहल है दिसंबर 2007 में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 को लागू करना। यह अधिनियम संतानों/संबंधियों द्वारा माता-पिता/वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल को हमेशा के लिए अनिवार्य और ट्रिब्यूनलों द्वारा न्यायोचित बनाता है। इसमें संबंधियों द्वारा अपेक्षा करने पर वरिष्ठ नागरिकों द्वारा जायदाद के हस्तांतरण को रद्द करने, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रमों की स्थापना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं और सुरक्षा का प्रावधान है।

इस अधिनियम को व्यक्तिगत राज्य सरकारों द्वारा अमल में लाया जाना है। 06.01.2011 तक इस अधिनियम की अधिसूचना 25 राज्यों और सभी केन्द्र शासित प्रदेशों में कर दी गई थी। यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्यों में लागू नहीं है, जबकि हिमाचल प्रदेश का वरिष्ठ नागरिकों के लिए अपना अलग अधिनियम है। केवल उत्तर प्रदेश एक

ऐसा राज्य है जिसके द्वारा अधिनियम को अधिसूचित करना बाकी है। जिन राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों ने अधिनियम को अधिसूचित किया है, उन्हें अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निम्न उपाय करने/कदम उठाने हैं:

- अधिनियम के अधीन नियम बनाना, देख-रेख अधिकारी नियुक्त करना, देख-रेख और अपेल्लेट ट्रिब्यूनल गठित करना।

अधिनियम का विस्तार लागू होना और प्रारंभ होना :

प्रस्तुत अधिनियम संविधान के अधीन गारंटीयुक्त और मान्यता प्राप्त माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण तथा कल्याण के लिए अधिक प्रभावी उपबंधों का और उनसे सम्बंधित अनेक विषयों का उपबंध करने लिए अधिनियमित किया गया है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में है और यह भारत के बाहर के भी नागरिकों पर भी लागू होता है।

परिभाषाएँ:

1. **बालक :** बालक में बेटा-बेटी, पौत्र और पौत्री सम्मिलित हैं। किन्तु इसमें अवयस्क सम्मिलित नहीं है।
2. **अवयस्क :** अवयस्क से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 के उपबंधों के अधीन वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं किया गया समझा जाता है।
3. **भरण-पोषण :** भरण-पोषण में आहार, वस्त्र, निवास और चिकित्सीय परिचर्या और उपचार उपलब्ध करना सम्मिलित है।
4. **माता-पिता :** माता-पिता से पिता या माता अभिप्रेत है, चाहे वह, यथास्थित, जैव दत्तक या सौतेले पिता या सौतेली माता है, चाहे माता या पिता कोई वरिष्ठ नागरिक है या नहीं।
5. **संपत्ति :** संपति से अभिप्राय किसी भी प्रकार की संपत्ति से है, चाहे वह जंगम या स्थावर, पैतृकया स्वयं अर्जित, मूर्त या अमूर्त हो और जिसमें ऐसी संपत्ति में अधिकार या हित सम्मिलित है।
6. **नातेदार :** नातेदार से अभिप्राय निःसंतान वरिष्ठ नागरिकों के किसी विधिक वारिस से है जो कोई अवयस्क नहीं है किन्तु उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति उसके कब्जे में होगी या विरासत में प्राप्त करेगा।
7. **वरिष्ठ नागरिक :** वरिष्ठ नागरिक से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो भारत का नागरिक है और जिसने साठ वर्ष या ऊपर की आयु प्राप्त कर ली है।
8. **अधिकरण :** अधिकरण से धारा के अधीन गठित भरण-पोषण अधिकरण अभिप्रेत है।
9. **कल्याण :** कल्याण से वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवयशक भोजन, स्वास्थ्य देखभाल, मनोरंजन केंद्र और अन्य सुख सुविधाओं की व्यवस्था करना अभिप्रेत है।

(1) माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण :

(1) कोई वरिष्ठ नागरिक, जिसके अंतर्गत माता-पिता हैं, जो स्वयं के अर्जन से या उसके स्वामित्वाधीन संपत्ति में से स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ है। जैसे-

(i) माता-पिता या दादा-दादी की दशा में उसके एक या अधिक बालकों के विरुद्ध, जो कोई अवयस्क नहीं है।

(ii) किसी निःसंतान वरिष्ठ नागरिक की दशा में उसके ऐसे नातेदार के विरुद्ध जो धारा 2 के खंड (छ) में निर्दिष्ट हैं, धारा 5 के अधीन कोई आवेदन करने का हकदार होगा।

(2) किसी वरिष्ठ नागरिक का भरण-पोषण करने के लिए यथास्थिति, बालक या नातेदार की बाध्यता ऐसे नागरिक की आवयश्कताओं तक विस्तारित होती है जिससे कि वरिष्ठ नागरिक का साधारण जीवन व्यतीत कर सके।

(3) अपने माता-पिता का भरण-पोषण करने की बालक बाध्यता यथास्थित, ऐसे माता-पिता या माता या दोनों की आवयश्कता तक विस्तारित होती है जिससे कि माता-पिता, एक साधारण जीवन व्यतीत कर सके।

(4) कोई व्यक्ति जो किसी वरिष्ठ नागरिक का नातेदार है और उसके पास पर्याप्त साधन है, ऐसे वरिष्ठ नागरिक का भरण-पोषण करेगा, परन्तु यह तब जबकि ऐसे वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति उसके कब्जे में है या वह ऐसे वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति को वसीयत में प्राप्त करेगा। परन्तु जहाँ एक नातेदार से अधिक नातेदार किसी वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति को वसीयत में प्राप्त करने के हकदार हैं, वहाँ भरण-पोषण, ऐसे नातेदार द्वारा उस अनुपात में संदेय होगा जिसमें वे उसकी संपत्ति को विरासत में प्राप्त करेगा।

(2) भरण-पोषण के लिए आवेदन :

(1) धारा-4 के अधीन भरण-पोषण के लिए आवेदन- यथास्थित, किसी वरिष्ठ नागरिक या किसी माता-पिता द्वारा किया जा सकेगा। यदि वह अशक्त है तो उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति या किसी संगठन द्वारा किया जा सकेगा। अधिकरण स्वप्रेरणा से संज्ञान ले सकेगा। स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए 'संगठन' से सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत अधिनियम, 1860 (1860 का 21) या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई स्वैच्छिक संगम अभिप्रेत है।

2) अधिकरण, इस धारा के अधीन भरण-पोषण के लिए मासिक भत्ते की बाबत कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, ऐसे बालक या नातेदार को ऐसे वरिष्ठ नागरिक के अंतरीम भरण-पोषण के लिए, जिसके अंतर्गत माता-पिता भी हैं, ऐसे आदेश कर सकेगा जो अधिकरण समय-समय पर निर्देशित करे।

(3) उपधारा (1) के अधीन भरण-पोषण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर बालक या नातेदार की सूचना देने के पश्चात और पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात भरण-पोषण की रकम का अवधारणा की जांच कर सकेगा।

(4) भरण-पोषण के लिए और कार्यवाही के खर्चे के लिए मासिक भत्ते हेतु उपधारा (2) के अधीन फाइल किये गए किसी आवेदन का, ऐसे व्यक्ति को आवेदन की सूचना की तामील की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर निपटान किया जाएगा। परन्तु अधिकरण आपवादिक परिस्थितियों में उक्त अवधि काएक बार तीस दिनों की अधिकतम अवधि के लिए लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से विस्तार कर सकेगा।

(5) उपधारा (1) के अधीन भरण-पोषण के लिए कोई आवेदन एक या अधिक व्यक्तियों के विरुद्ध फाइल किया जा सकेगा। परन्तु ऐसे बालक या नातेदार भरण-पोषण के लिए आवेदन में माता-पिता का भरण-पोषण करने के लिए दायी अन्य व्यक्ति को पक्षकार बना सकेगा।

(6) जहाँ भरण-पोषण का आदेश एक या अधिक व्यक्तियों के विरुद्ध किया गया था वहाँ उनमें से एक व्यक्ति की मृत्यु से भरण-पोषण का संदाय जारी रखने के लिए अन्य व्यक्तियों के दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा।

(7) भरण-पोषण और कार्यवाही के खर्चे के लिए कोई ऐसा भत्ता आदेश की तारीख से या यदि ऐसा आदेश किया जाता है तो यथास्थित भरण-पोषण या कार्यवाही के खर्चे के आवेदन की तारीख से संदेय होगा।

(8) यदि ऐसे बालक या नातेदार जिन्हें आदेश दिया जाता है, पर्याप्त हेतुक के बिना आदेश या पालन करने में असफल रहते हैं तो कोई ऐसा अधिकरण आदेश के प्रत्येक उल्लंघन के लिए जुर्माने का उदग्रहण करने के लिए उपबंधित रीति में देय राशि के उदग्रहण का वारंट जारी कर सकेगा और ऐसे व्यक्ति को यथास्थित, भरण-पोषण और कार्यवाही के खर्चे के प्रत्येक मास के संपूर्ण भत्ते या उसके किसी भाग के लिए ऐसे वारंट के निष्पादन के पश्चात असंदत्त शेष भाग के लिए कारावास से जो एक मास तक हो सकेगा या संदाय होने तक यदि संदाय शीघ्र किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो दंडादिष्ट कर सकेगा। परन्तु इस धारा के अधीन शोध्य किसी रकम की वसूली के लिए कोई वारंट तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक उस तारीख से जिसको यह रकम शोध्य हो जाती है तीन मास की अवधि के भीतर उसके उदग्रहण के लिए अधिकरण को आवेदन नहीं किया जाएगा।

(3) अधिकारिता और प्रक्रिया 1974 का 2 :

(1) धारा-5 के अधीन बालकों या नातेदारों के विरुद्ध किसी जिले में कार्यवाही शुरू की जा सकेगी। जहाँ वह निवास करता है या अंतिम बार निवास किया है या जहाँ बालक या नातेदार निवास करता है।

(2) धारा 5 के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर अधिकरण, बालकों या नातेदारों जिनके विरुद्ध आवेदन फाइल किया गया है, की उपस्थित सुनिश्चित करने के लिए आदेशिका जारी करेगा।

(3) बालकों या नातेदारों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अधिकरण को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन, यथा-उपबंधित प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां होगी।

(4) ऐसी प्रक्रियाओं के सभी साक्ष्य बालकों या नातेदारों की जिनके विरुद्ध भरण-पोषण का संदाय के लिए आदेश किया जाना प्रस्तावित है, उपस्थिति में लिए जाएंगे और समन मामलों के विहित रीति में अभिलिखित किये जाएँगे। परन्तु यदि अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि बालक या नातेदार जिनके विरुद्ध अनुरक्षण के संदाय के लिए आदेश किया जाना प्रस्तावित है, जानबूझकर तामील से बच रहा है या जानबूझकर अधिकरण में उपस्थित होने की उपेक्षा कर रहे हैं तो अधिकरण मामले को एक पक्षीय रूप से सुनवाई करने और अवधारित करने के लिए अग्रसर हो सकेगा।

(5) जहाँ बालक या नातेदार भारत के बाहर राज रहे है, वहाँ अधिकरण द्वारा समन ऐसे प्रधिकारीके माध्यम से तामील किये जाएंगे जिसे इस निमित केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(6) अधिकरण धारा 5 के अधीन आवेदन की सुनवाई करने से पूर्व उसे सुलह अधिकारी को निर्दिष्ट कर सकेगा और ऐसा सुलह अधिकारी अपने निष्कर्षों को एक मास के भीतर प्रस्तुत करेगा और यदि सौहार्दपूर्ण सुलह हो गई है तो अधिकरण उस भाव का एक आदेश पारित करेगा। स्पष्टीकरण- इस धारा में वेफ प्रयोजनों के लिए 'सुलह अधिकारी' से ऐसा व्यक्ति या धारा 5 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट संगठन का प्रतिनिधि या धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अभिहित भरण-पोषण अधिकारी या इस प्रयोजन के लिए अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है।

(4) भरण-पोषण अधिकरण का गठन :

(1) राज्य सरकार इस अधिनियम में प्रांरम्भ होने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर धारा-5 के अधीन भरण-पोषण के आदेश के न्यायनिर्णयन और विनिश्चय करने के प्रायोजन के लिय अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जाएं।

(2) राज्य के उपखंड अधिकारी से अन्यून की पंक्ति के अधिकारी द्वारा अध्यक्षता की जाएगी।
(3) जहाँ किसी क्षेत्र के लिए दो या अधिक अधिकरण गठित किये जाते हैं वहाँ राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा उनके बीच कारबार के वितरण को विनियमित कर सकेगी।

(5) जांच की दशा में संक्षिप्त प्रक्रिया 1974 का 2 :

(1) धारा-5 के अधीन कोई जांच करने में ऐसे किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए जो इस निमित राज्य सरकार द्वारा विहित किये जाएं, ऐसी संक्षिप्त प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जिसे वह ठीक समझे।
(2) शपथ पर साक्ष्य लेने और साक्षियों को हाजिर कराने तथा दस्तावेजों और भौतिक पदार्थों का पता कराने और उनको प्रस्तुत कराने के प्रयोजन के लिए तथा ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए जो विहित किये जाएं, सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी और अधिकरण दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-195 और अध्याय 26 के सभी प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा।
(3) इस निमित बनाए जाने वाले किसी नियम के अधीन रहते हुए भरण-पोषण के लिए किसी दावे का न्यायनिर्णयन करने और उसका विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए जांच करने में उसकी सहायता करने के लिए ऐसे किसी एक या अधिक व्यक्तियों को चुन सकेगा जिनके पास जांच से सुसंगत किसी विषय का विशेष ज्ञान हो।

(6) भरण-पोषण का आदेश :

(1) यदि यथास्थित बालक या नातेदार ऐसे वरिष्ठ नागरिक का जो स्वयं अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं, भरण-पोषण करने से उपेक्षा या इनकार करते हैं तो अधिकरण, ऐसी उपेक्षा या इंकार के बारे में समाधान हो जाने पर, ऐसे बालकों और नातेदारों को ऐसे वरिष्ठ नागरिक के भरण-पोषण के लिए ऐसी मासिक दर पर मासिक भत्ता देने का, जो अधिकरण ठीक समझे और ऐसे वरिष्ठ नागरिक को उस भत्ते का संदाय करने का आदेश दे सकेगा जो अधिकरण समय-समय पर निर्देश दें।
(2) वह अधिकतम भरण-पोषण भत्ता जिसका ऐसे अधिकरण द्वारा आदेश दिया जा सकेगा, वह होगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए और जो दस हजार रुपए प्रति मास से अधिक नहीं होगा।

(7) भत्ते में परिवर्तन :

(1) भरण-पोषण के लिए किसी तथ्य के दुर्व्यपदेशन या गलती के या धारा-5 के अधीन मासिक भत्ता प्राप्त करने वाले किसी व्यक्ति की अथवा भरण-पोषण के लिए मासिक भत्ते का संदाय करने के लिए उसी धारा के अधीन आदेशित व्यक्ति की परिस्थितियों में परिवर्तन के सबूत पर अधिकरण भरण-पोषण के भत्ते में ऐसा परिवर्तन का सकेगा जिसे वह ठीक समझें।
(2) जहाँ, अधिकरण को यह प्रतीत होता है कि किसी सक्षम सिविल न्यायालय के किसी विनिश्चय के परिणामस्वरूप धारा-9 के अधीन किये गये किसी आदेश को रद्द या परिवर्तित किया जाना चाहिये तो वह तदनुसार यथास्थिति उस आदेश को रद्द परिवर्तित कर सकेगा।

(8) भरण-पोषण के आदेश का प्रवर्तन :

(1) यथास्थित, वरिष्ठ नागरिक या माता-पिता को, जिसके पक्ष में आदेश किया जाता है, यथास्थिति भरण-पोषण के आदेश तथा कार्यवाहियों के खर्चे के संबंध में आदेश के प्रति किसी फीस का संदाय किये बिना दी जाएगी और उस आदेश को किसी ऐसे स्थान पर किसी अधिकरण द्वारा पक्षकारों की पहचान और, यथास्थित भत्ते के असंदाय अथवा शोध्य खर्चों के बारे में समाधान हो जाने पर प्रवृत किया जा सकेगा जहाँ वह व्यक्ति निवास करता है जिसके विरुद्ध आदेश किया जाता है। 1974 का 2 :- इस अधिनियम के अधीन किये गए भरण-पोषण के आदेश का वही बल और प्रभाव होगा जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 9 के अधीन पारित आदेश का होता है और वह और वह उस संहिता द्वारा ऐसे आदेश के निष्पादन के लिए विहित रीति में निष्पादित किया जाएगा।

(9) कतिपय मामलों में भरण-पोषण के संबंध में विकल्प :

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 9 में किसी बात के होते हुए भी जहाँ कोई वरिष्ठ नागरिक या माता-पिता उक्त अध्याय के अधीन भरण-पोषण के लिए हकदार हैं और इस अधिनियम के अधीन भरण-पोषण के लिए भी हकदार हैं, वहाँ वे उक्त संहिता के अध्याय 9 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उन दोनों अधिनियम में से किसी के अधीन ऐसे भरण-पोषण का दावा का सकेंगे किन्तु दोनों के अधीन नहीं।

(10) भरणपोषण की रकम का जमा किया जाना :

जब इस अधिनियम के अधीन कोई आदेश के निबंधनों के अनुसार किसी रकम का संदाय करना अपेक्षित है, अधिकरण द्वारा आदेश सुनाए जाने की तारिख से तीन दिन के भीतर आदेशित संपूर्ण रकम ऐसी रीति में जमा करेगा जैसा अधिकरण निदेश दे।

(11) ब्याज का अधिनिर्णय जहाँ कोई दावा अनुज्ञात किया जाता है :

जहाँ कोई अधिकरण इस अधिनियम के अधीन भरण-पोषण का कोई आदेश देता हैवहाँ ऐसा अधिकरण यह निदेश दे सकेगा कि भरण-पोषण की रकम के अतिरिक्त ऐसी दर पर और ऐसी तारीख से जो आवेदन करने की तारीख से पूर्व की तारीख न हो और जो अधिकरण द्वारा अवधारित की जाए। साधारण ब्याज का भी संदाय किया जाएगा जो पांच प्रतिशत से कम और अठारह प्रतिशत स अधिक नहीं होगा। परन्तु जहाँ दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 9 अधीन भरण-पोषण के लिए कोई आवेदन इस अधिनियम के प्रारंभ पर किसी न्यायालय के समक्ष लंबित है वहाँ न्यायालय माता-पिता के अनुरोध पर ऐसेआदेश को वापस लेने के लिए अनुज्ञात करेगा और ऐसे माता-पिता अधिकरण के समक्ष भरण-पोषण के आवेदन फाइल करने के हकदार होंगे।

(12) अपील अधिकरण का गठन :

(1) राज्य सरकार अधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले के लिए एक अपील अधिकरण का गठन कर सकेगी।

(2) अपील अधिकरण का अध्यक्ष ऐसा अधिकारी होगा जो मिला मजिस्ट्रेट की पंक्ति से नीचे का न हो।

(13) अपीलें :

(1) अधिकरण के किसी आदेश द्वारा व्यथित, यथास्थित, कोई वरिष्ठ नागरिक या कोई माता-पोषण आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा। परन्तु अपील पर वे बालक या रिश्तेदार जिनसे ऐसे भरण-पोषण के आदेश के निबंधनों के अनुसार किसी रकम का संदाय किये जाने की अपेक्षा की जाती है, ऐसे माता-पिता को इस प्रकार आदेशित रकम का संदाय अपील अधिकरण द्वारा निदेशित रीति से करता रहेगा। परन्तु यह और किअपील अधिकरण, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर अपील करने से पर्याप्त करण से निवारित हुआ था, साठ दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात अपील ग्रहण कर सकेगा।

(2) अपील अधिकरण, अपील का प्राप्ति पर, प्रत्यर्थी पर सूचना की तामील करवाएगें।

(3) अपील अधिकरण उस अधिकरण से जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की जाती है, कार्यवाहियों का अभिलेख मंगा सकेगा।

(4) अपील अधिकरण, अपील और मंगाए गए अभिलेख की परीक्षा करने के पश्चात या तो अपील को मंजूर कर सकेगा या खारिज कर सकेगा।

(5) अपील अधिकरण, अधिकरण के आदेश के विरुद्ध फाइल की गई अपील का न्यायनिर्णयन और विनिश्चय करेगा तथा अपील अधिकरण का आदेश अंतिम होगा। परन्तु कोई अपील तब तक ख़ारिज नहीं की जाएगी जब तक कि दोनों पक्षकारों को व्यक्तिगत रूप से या सम्यक रूप से प्राधिकृत के माध्यम से सुने जाने का अवसर न दे दिया गया हो।

(6) अपील अधिकरण अपना आदेश अपील की प्राप्ति के एक मास के भीतर लिखित में सुनाने का प्रयास करेगा।

(7) उपधारा (5) के अधीन किये गए प्रत्येक आदेश की एक प्रति निःशुल्क दोनों पक्षकारों को भेजी जाएगी।

(14) विधिक अभ्यावेदन का अधिकार :

किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी अधिकरण या अपील अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों का किसी पक्षकार का प्रतिनिधित्व किसी विधि व्यवसायी द्वारा नहीं किया जाएगा।

(15) भरण-पोषण अधिकारी:

(1) राज्य सरकार, जिला समाज कल्याण अधिकारी या जिला समाज कल्याण अधिकारी का पंक्ति से अनिम्न किसी अधिकारी को, चाहे वह किसी नाम से ज्ञात हो, भरण-पोषण अधिकारी के रूप में पदाभिहित करेगी।

(16) वृद्धाश्रमों की स्थापना :

(1) राज्य सरकार पहुंच के भीतर स्थानों पर उतनी संख्या में वृद्धाश्रम चरणबद्ध रीति में स्थापित करेगी और उनका अनुरक्षण करेगी जितने वह आवयश्क समझे पर प्रांरभ में प्रत्येक जिले में कम-से-कम एक ऐसे वृद्धाश्रम की स्थापना करेगी जिसमें कम-से-कम ऐसे एक सौ पचास वरिष्ठ नागरिक को आवास दिया जा सके जो निर्धन हैं।

(2) राज्य सरकार वृद्धाश्रमों के प्रबंध की एक स्कीम विहित करेगी जिसके अंतर्गत उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के मानदंड और विभिन्न प्रकार भी हैं जो ऐसे आश्रमों के निवासियों को चिकित्सीय देखरेख और मनोरंजन के साधनों के लिए आवयश्क है। स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए 'निर्धन' से कोई वरिष्ठ नागरिक अभिप्रेत है

जिसके पास स्वयं का भरण-पोषण करने के लिए उतने पर्याप्त साधन नहीं हैं जो राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर अवधारित किये जाएं।

(17) वरिष्ठ नागरिकों कोचिकित्सा देख रेख के लिए उपबंध :

(1) सरकारी अस्पताल या सरकार द्वारा पूर्णत: या भागत: वित्तपोषित अस्पताल, सभी वरिष्ठ नागरिकों को यथासंभव बिस्तर प्रदान करेंगे।

(2) वरिष्ठ नागरिकों के लिए पृथक पंक्तियों की व्यवस्था की जाए।

(3) असाध्य, जानलेवा और अपहासन रोगों के उपचार के लिए सुविधाओं वरिष्ठ नागरिकों को भी दी जाए।

(4) असाध्य वृद्धावस्था के रोगों और वृद्धावस्था के सम्बन्ध में अनुसंधान क्रियाकलापों का विस्तार किया जाए।

(5) जराचिकित्सीय देखरेख में अनुभव रखने वाले चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता वाले प्रत्येक जिला अस्पताल में जराचिकित्सा के रोगियों के लिए सुविधाएं निःशुल्क दी जाए।

(18) वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और सम्पति की रक्षा :

(1) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेगी किइस अधिनियम से सम्बंधित सभी उपबंधों का टेलीविज़न, रेडियो और अख़बारों सहित सार्वजनिक मीडिया के माध्यम से नियमित अंतरालों पर व्यापक प्रचार किया जाता है।

(2) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों को, जिनके अंतर्गत पुलिस अधिकारी और न्यायिक सेवा के सदस्य भी हैं, इस अधिनियम से संबंधित मुद्दों पर समय-समय पर सुग्राही और जागरूक होने का प्रशिक्षण दिया जाता है।

(3) वरिष्ठ नागरिक के कल्याण से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए विधि, गृह, स्वास्थ्य और कल्याण से सबद्ध मंत्रालयों या विभागों द्वरा प्रदान की गई सेवाओं के बीच प्रभावी समन्वय और उनका कालिक पुर्विलोकन किया जाता है।

(4) राज्य सरकार, किसी जिला मजिस्ट्रेट को ऐसी शक्तियां प्रदत्त और उस पर ऐसे कर्त्तव्य अधिरोपित कर सकेगी जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवयश्क होकि इस अधिनियम के उपबंधों का उचित रूप से पालन किया जाता है और जिला मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ ऐसे अधिकारी को जो इस प्रकार प्रदत्त या अधिरोपित सभी या किसी शक्ति का प्रयोग और सभी या किसी कर्त्तव्य का पालन करेगा और वे सथानीय सीमाएं विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिनके भीतर ऐसी शक्तियों या कर्त्तव्यों का, जो विहित किये जाए, उस अधिकारी द्वारा पालन किया जाएगा।

(5) राज्य सरकारवरिष्ठनागरिकों के जीवन और संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना विहित करेगी।

(6) जहाँ कोई वरिष्ठ नागरिक, जिसने इस अधिनियम के आरंम्भ के पश्चात अपनी संपत्ति का दान के रूप में या अन्यथा अंतरण इस शर्त के अधीन रहते हुए किया कि अंतरिती, अंतरक को बुनियादी सुख-सुविधाएं और बुनियादी भौतिक जरूरतें प्रदान करेगा और ऐसा अंतरिती ऐसी सुख-सुविधाओं तथा भौतिक जरूरतों प्रदान करने से इंकार करेगा या असफल रहेगा तो संपत्ति का उक्त अंतरण कपट या प्रपीड़न या अनावश्यक प्रभाव के अधीन किया समझा जाएगा और अंतरक के विकल्प पर अधिकरण द्वारा शून्य घोषित किया जाएगा।

(7) जहाँ किसी वरिष्ठ नागरिक को किसी संपदा से भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार है और ऐसी संपदा या उसका भाग अंतरित कर दिया गया है तो यदि अंतरिती के पास अधिकार की सूचना है या यदि अंतरण अंतरिती के संबंध में लागू किया जा सकेगा: न कि उस अंतरिती के संबंध में, जो प्रतिफल के लिए हा और जिसके पास अधिकार की सूचना नहीं है।

(8) यदि कोई वरिष्ठ नागरिक उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन अधिकार को लागू कराने में असमर्थ हा तो धारा-5 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट किसी संगठन द्वारा उसकी ओर से कार्यवाही की जा सकेगी।

(19) अपराध और विचरण के लिए प्रक्रिया :

वरिष्ठ नागरिकोंको अरक्षित छोड़ना और उसका परित्याग: जो कोई, जिसके पास वरिष्ठ नागरिक की देखरेख या सुरक्षा है, ऐसे वरिष्ठ नागरिक को, किसी स्थान में, ऐसे वरिष्ठ नागरिक का पूर्णतया परित्याग करने के आशय से छोड़ेगा, यह ऐसी अवधि के किसी कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।

(20) उपराधों का संज्ञान 1974 का 2 :

(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात केहोते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन अपराध संज्ञान और जमानतीय होगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का किसी मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचरण किया जाएगा।

(21) प्रकीर्ण :

(1) अधिकारियों का लोक सेवक होना 1860 का 45 : इस अधिनियम के अधीन कृत्यों को प्रयोग करने के लिए नियुक्त किये गए प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी को, भारतीय दंड संहिता की धारा-21 के अंतर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।

(2) सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन : किसी सिविल न्यायालय को ऐसे किसी मामले में अधिकारिता नहीं होगी जिसे इस अधिनियम का कोई उपबंध लागू होता हा और किसी सिविल न्यायालय द्वारा ऐसी किसी बात की बाबत, जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन की गई या किये जाने के लिए आशयित है कोई व्यादेश नहीं दिया जाएगा।

(3) सदभावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण : इस अधिनियम या तदधीन बनाये गए किन्हीं नियमों या आदेशों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशायित किसी बात के संबंध में कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों या स्थानीय प्रधिकारी या उस सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध न होगी।

(4) कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति : यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, ऐसे

उपबंध बना सकेगी जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे अवयश्क या समीचीन प्रतीत हों: परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के आरंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जाएगा।

(5) निर्देश देने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति : केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों का निष्पादन करने के बारे में किसी राज्य सरकार कोनिर्देश दे सकेगी।

(6) केन्द्रीय सरकार की पुनर्विलोकन की शक्ति : केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन की प्रगति का कालिक पुनर्विलोकन और निगरानी कर सकेगी।

(7) नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति :

(1) राज्य सरकार, राज्यपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियमों के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे-

(क) ऐसे नियमों के अपील रहते हुए, जो धारा-8 की उपधारा (1) के अधीन विहित किये जाएं, धारा-5 के अधीन जांच करने की रीति;

(ख) धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन अन्य प्रयोजनों के अधिकरण की शक्ति और प्रक्रिया;

(ग) अधिकरण भरण-पोषण भत्ता, जो धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन अधिकरण द्वारा आदेशित किया जाएं;

(घ) धारा-19 की उपधारा (2) के अधीन वृधाश्रम के प्रबंध के लिय स्कीम, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले मानक और विभिन्न प्रकार की सेवाएं भी हैं जो ऐसे आश्रमों के निवासियों क चिकित्सीय देखरेख और मनोरंजन के साधनों के लिय आवश्यक हो;

(ड) धारा-22 की उपधारा (1) अधीन, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारियों की शक्तियाँ और कर्त्तव्य;

(च) धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए व्यापक कार्य योजना;

(छ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाये जाने के पश्चात् विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जहाँ वह दो सदनों से मिलकर बना है जहाँ ऐसे विधान-मंडल में एक सदन है, वहाँ उस सदन के समक्ष, रखा जाएगा।

अधिनियम की कमियां :

1. अधिनियम की सबसे बड़ी कमी बुजुर्गों का अपनी संतानों के प्रति भावनात्मक जुड़ाव है। बुजुर्गों का अपनी संतान के प्रति भावनात्मक जुडाव होने के कारण वे कभी अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठा नहीं पाते हैं। अगर वे अपने बच्चों के खिलाफ मुकदमा करते हैं तो कानूनी प्रक्रिया पूर्ण होने तक अंत में वे मुकदमा वापस ले लेते हैं क्योंकि वे अपने बच्चों को कभी जेल जाते नहीं देख पाते हैं और इस तरह से संतान का मोह उनके लिए अत्याचारों को सहने का कारण बन जाता है।

2. किसी भी न्यायालय की कार्रवाही एवं लंबी कानूनी प्रक्रिया के चलने में अधिक खर्च एवं अधिक समय लगता है। वृद्धावस्था में बुजुर्गों के पास आय का कोई साधन न होने के कारण वे कानूनी प्रक्रिया एवं न्यायालय के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं। इस तरह बुजुर्ग अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों की शिकायत नहीं करते हैं।
3. माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के अनुसार प्रत्येक जिला में वृद्धाश्रमों की स्थापना की बात कहीं गई है लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे जिले हैं जहाँ पर बुजुर्गों के कल्याण के लिए वृद्धाश्रम स्थापित नहीं किये जा सके हैं।
4. माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के अनुसार माता-पिता के भरण-पोषण एवं देखभाल की कही गई है लेकिन वास्तव में इसका पालन नहीं किया जा रहा है।

इस प्रकार यह अधिनियम बुजुर्गों के कल्याण के जिस उद्देश्य के साथ लागू किया गया था दुर्भाग्यवश यह अधिनियम अभी भी अपने वांछित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाया है। क्योंकि अभी भी वृद्धदुर्व्यवहार की घटनाएं समाज में निरंतर घटित हो रही हैं।

वृद्धजनों को प्राप्त संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा :

वृद्ध व्यक्तियों का कल्याण भारत के संविधान द्वारा अनिवार्य बनाया गया है। संविधान की धारा-41 के अनुसार शासन, अपनी आर्थिक क्षमता और विकास के दायरे में रहते हुए, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामलों, और अवांछित जरुरत के अन्य मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा। राज्य सूची की बिंदु 9 और भारत के संविधान की समवर्ती सूची के बिंदु 20, 23, और 24 का संबंध वृद्धावस्था, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक नियोजन और विकलांगों और बेरोजगारों को राहत प्रावधान कराने से है। भारत सरकार वृद्ध आबादी के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक समर्थकारी पर्यावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत के संविधान की धारा-41 अपराधिक प्रक्रिया 1973 के कोड के खंड 125 द्वारा सुदृढ़ बनाया गया है जिसके अंतर्गत पर्याप्त साधनों से युक्त हर व्यक्ति को अपने माता-पिता का भरण –पोषण करना अनिवार्य हा यदि वे स्वयं की देखभाल करने में असमर्थ हों। हिन्दू दत्तक ग्रहण और देखभाल कानून, 1956 की धारा-20(3) प्रत्येक हिन्दू के लिए उसके बूढ़े या कमजोर माता-पिता की देखभाल को अनिवार्य बनाती है। कमजोरों और बूढों की देखभाल का प्रावधान मुस्लिम व्यक्तिगत कानून में भी है।

वृद्धजनों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा बनाई गई नीतियां एवं योजनाएं :

1. राष्ट्रीय वृद्धजन नीति (एनपीओपी) :

सामाजिक और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के उत्तर में भारत सरकार ने जनवरी 1999 में वृद्ध व्यक्तियों के लिए वृद्धजन राष्ट्रीय नीति (एनपीओपी) की घोषणा की। यह नीति वृद्ध लोगों की आर्थिक और खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखरेख, आवास और अन्य जरूरतों, विकास में समान हिस्से, दुर्व्यवहार और शोषण के खिलाफ सुरक्षा, और उनके जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए सेवाओं की उपलब्धि को सुनिश्चित करने के लिए शासकीय समर्थन का प्रावधान करती है।

2. वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद (एनसीओपी) :

एनपीओपी, 1999 के अनुसार, नीति के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के केन्द्र मंत्री के सभापतित्व में वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद (एनसीओपी) का गठन किया गया है। (एनसीओपी) वृद्धों के लिए नीति और कार्यक्रमों के सूत्रीकरण और कार्यान्वयन में सरकार को सलाह देने वाला सर्वोच्च संगठन है। इस परिषद् में केन्द्रीय और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि, नागरिकों के समूह, सेवानिवृत्त व्यक्तियों के संघ, और कानून, सामाजिक कल्याण, और चिकित्सा क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं।

3. वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम की योजना (आईपीओपी) :

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय वर्ष 1992 से वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम की योजना (आईपीओपी) का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वृद्ध लोगों के जीवन की गुणवत्ता में मूलभूत सुविधाएं जैसे आवास, भोजन, स्वास्थ्य देखरेख और मनोरंजन के अवसर उपलब्ध कराके और उत्पादक और सक्रिय वृद्धावस्था को प्रोत्साहित करके सुधार करना है। योजना के अंतर्गत, राज्य सरकारों/गैर-सरकारी संगठनों/पंचायती राज्य संस्थानों/स्थानीय संगठनों आदि को विभिन्न परियोजनाओं की स्थापना और रख-रखाव के लिए परियोजना की लागत के 90 प्रतिशत की आर्थिक सहायता दी जाती है जिनके नाम हैं, वृद्धाश्रम, दिवस देखभाल केन्द्र, मोबाइल मेडिकेयर इकाईयां, राहत देखरेख होम और सतत देखरेख केन्द्र होम, अल्जाइमर्स रोग/मनोभ्रंश रोगियों के लिए देखरेख केन्द्र, फिजियोथेरेपी क्लिनिक, हेल्प-लाईनें, सलाहकार केन्द्र, बच्चों के लिए, खास कर स्कूलों और कॉलेज में संवेदनकारी कार्यक्रम, क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र, वृद्ध लोगों और देखभाल प्रदाताओं के लिए जागरूकता उत्पत्ति कार्यक्रम, वरिष्ठ नागरिक संघों का गठन आदि।

4. राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (एनआईएसडी) :

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (एनआईएसडी), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय, ने 2000 में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल पर राष्ट्रीय पहल (एनआइसीई) नामक एक अनूठी परियोजना शुरू किया जिसका मूल उद्देश्य कुशल और समर्पित वृद्धावस्था विज्ञान के ऐनिमेटरों और पेशेवरों की टीम तैयार करना था ताकि वृद्ध व्यक्तियों की बढ़ती आबादी के लिए सेवाएं नियोजित और उपलब्ध करवाई जा सके।

5. अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस समारोह और वयोश्रेष्ठ सम्मानों का अलंकरण : हर वर्ष सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाती है। बुजुर्गों को प्रोत्साहित करने के लिए राजपथ, इंडिया गेट पर प्रातः कालीन भ्रमण का आयोजन किया जाता है जिसमें दिल्ली के हर कोने से 3000 से अधिक वरिष्ठ नागरिक, बुजुर्गों के कल्याण के क्षेत्र में काम कर रहे स्वैच्छिक संगठनों और विभिन्न स्कूलों से स्कूली बच्चे भाग लेते हैं। इस समारोह के अंतर्गत मंत्रलय नई दिल्ली में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करता है। 10 विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत वयोश्रेष्ठ सम्मान से वरिष्ठ नागरिकों और संस्थानों को वृद्धावस्था के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए अलंकृत किया जाता है। राज्य सरकारों से भी खंड स्तर पर इस अवसर को उचित ढंग से मनाने के लिए अनुरोध किया जाता है।

6. राष्ट्रीय वयोश्री योजना : वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वरिष्ठ नागरिकों को आबादी 10.38 करोड़ है, जिसमें से 70 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। देश में वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा (5.2%) वृद्धावस्था में होने वाली अक्षमताओं से पीड़ित है।

7. प्रधानमंत्री वय वंदना योजना : पूर्व की वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना की सफलता और लोकप्रियता को देखते हुए देश में वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा के मद्देनजर भारत सरकार द्वारा हाल ही में 'प्रधानमंत्री वय वंदना योजना' (PMVVY) नमक एक नई पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया।

वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए उपलब्ध अन्य सुविधाएँ :

1. ग्रामीण विकास मंत्रालय : यह मंत्रालय इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू कर रहा है जिसके अंतर्गत गरीबी-रेखा के नीचे के घरों वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को 200/- रुपए प्रतिमाह और 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को 500/- रुपए प्रतिमाह पेंशन के लिए केंद्रीय सहायता दी जाती है जिसे राज्यों द्वारा कम से कम समान योगदान द्वारा अनुपूरित किया जाना है। 2011-12 के दौरान करीब 209 लाख लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिला। मंत्रालय ने अन्नपूर्णा योजना का भी प्रबंध किया जिसके अंतर्गत 10 किलोग्राम प्रतिमाह तक मुफ्त खाद्यान्न (गेहूं या चावल) 65 वर्ष से अधिक के असहाय व्यक्तियों को दिए जाते हैं जो वृद्धावस्था पेंशन के योग्य हैं लेकिन उसे प्राप्त नहीं कर रहे हैं।

2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय : यह मंत्रालय कई सरकारी अस्पतालों में जेरियाट्रिक क्लिनिक में वृद्ध लोगों के लिए अलग कतारें उपलब्ध कराता है। वर्ष 2010-11 से शुरू करते हुए ग्यारहवीं योजना के दौरान मंत्रालय ने बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का कार्यन्वयनभी किया। इसका मूल लक्ष्यबहिर्गत सेवाओं सहित राज्य स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली के विभिन्न स्तरों पर वरिष्ठ नागरिकोंको पृथक और विशेषज्ञ पूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना है। निवारक और प्रोतसाह्नात्मक देखभालका प्रबंध, जेरियाट्रिक सेवाओं के लिए स्वास्थ्य श्रमशक्ति का विकास, चिकित्कीय पुनर्वास एवं उपचारात्मक हस्तक्षेप जैसे सामरिक कदम द्वारा परिकल्पित किये गए हैं।

3. 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान : मुख्य अंश देश के विभिन्न प्रान्तों में 8 चयनित प्रांतीय मेडिकल संस्थानों (प्रांतीय जेरियाट्रिक केन्द्रों) में 30 बिस्तर वाले जेरियाट्रिक विभाग की स्थापना और 21 राज्यों के 100 चयनित जिलों में जिला अस्पतालों, सीएचसी, पीएचसी, और उपकेंद्र स्तर पर समर्पित स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं उपलब्ध करना था। बचे हुए जिलों को 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 100 जिले प्रति वर्ष की दर से कार्यक्रम में चरणबद्ध रूप से लेने और देश में (पहले 3 वर्षों में) चुनिंदा मेडिकल कॉलेजों में 12 अतिरिक्त प्रांतीय जेरियाट्रिक केंद्र विकसित करने का प्रस्ताव है। प्रांतीय संस्थान जिला अस्पतालों में जेरियाट्रिक इकाइयों को तकनीक समर्थन देंगे जबकि जिला अस्पताल, सीएचसी, पीएचसी, और उपकेंद्रों पर गतिविधियों का पर्यवेक्षण और समन्वय करेंगे।

4. बीमा नियामक विकास प्राधिकरण : 25.5.2009 दिनांक के पत्र द्वारा सभी साधारण स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा पर निर्देश जारी किया गया जिसमें 65 वर्ष तक की उम्र तक स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रवेश की अनुमति देना है। वरिष्ठ नागरिकों की जरुरत के लिए जारी सभी स्वास्थ्य बीमा उत्पादों पर किसी भी प्रस्ताव पर इंकार का कारण दर्ज करना। इसी तरह, बीमा कंपनियां बिना विशिष्ट कारणों के पुनर्वीकरण से इंकार नहीं कर सकती है।

5. वित्त मंत्रालय : मंत्रालय वरिष्ठ नागरिकोंको नियमानुसार कर लाभ प्रदान करता है। 60 वर्ष या अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2.50 लाख रुपए तक आयकर में छूट। 80 वर्ष या अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5.00 लाख रुपए तक आयकर में छूट। किसी भी व्यक्ति को जो अपने माता-पिता, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, के लिए प्रीमियम अदा करते हैं उसे खंड 80जी के अंतर्गत 20,000 रुपए की छूट की अनुमति है। कोई भी व्यक्ति किसी निर्भर वरिष्ठ नागरिक के चिकित्सकीय उपचार के लिए खर्च की गई रकम या 60,000 रुपए, जो भी कम हो, की छूट के लिए योग्य है।

6. गृह मंत्रालय : मंत्रालय ने राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए सलाह पत्र भेजा कि वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और जायदाद की पूरी तरह से सुरक्षा की जाए। वृद्ध लोगों के जीवन और जायदाद की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना और एक मित्रवत निगाह रखने के लिए नीति विभागों को निर्देश देना। कार्यक्षेत्र के स्तर पर पुलिस बल, विशेषकर दरोगा को, बुजुर्गों की सुरक्षा चिंता के बारे में संवेदनशील बनाना। निम्न बातों सहित वृद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा और रक्षा के बारे में एक पुख्ता योजना का सूत्रीकरण करना: वृद्ध लोगों के आवासीय स्थानों की पहचान, वृद्ध लोगों के घरों का व्यक्तिगत दौरा, जिला स्तर पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा वृद्ध लोगों की निगरानी और अनिवार्य समीक्षा, वृद्ध व्यक्तयों के कल्याण के लिए हेल्पलाइन की स्थापना।

7. रेल मंत्रालय : यह मंत्रालय वरिष्ठ नागरिकोंकोनिम्न सुविधाएँ प्रदान करता है, जैसे विभिन्न पीआरएस (यात्री आरक्षण प्रणाली) केन्द्रों पर 60 वर्ष या अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पृथक टिकट काउंटर यदि प्रति पाली मांग 120 टिकटों से अधिक है। 60 वर्ष और अधिक आयु के पुरुष यात्रियों और 45 वर्ष और अधिक आयु की महिला यात्रियों के लिए निचली बर्थ का प्रावधान। 60 वर्ष और अधिक आयु के पुरुष और 58 वर्ष और अधिक आयु की महिला वरिष्ठ नागरिक के लिए क्रमशः 40 प्रतिशत और 50 प्रतिशत की रियायत। वृद्ध यात्रियों के लिए स्टेशनों पर पहिएदार कुर्सियां।

8. नागरिक उड्डयन मंत्रालय : यह मंत्रालय राष्ट्रीय वाहक, एयर इंडिया में यात्रा के प्रारंभ की तारीख को 65 वर्ष और अधिक आयु वाले पुरुष यात्री के लिए और 63 वर्ष और अधिक आयु की महिला यात्री के लिए आयु और राष्ट्रीयता का प्रमाण (फोटो आई डी) प्रस्तुत करने पर 50 प्रतिशत तक वायु भाड़ा रियायत का प्रावधान करता है।

9. पेंशन विभाग : इस विभाग ने एक पेंशन पोर्टल की स्थापना की है जिससे वरिष्ठ नागरिक अपने आवेदन की स्थिति, पेंशन की मात्रा, आवश्यक दस्तावेजों, यदि कोई हो, आदि के बारे में जानकारी पा सकें। पोर्टल शिकायतों करने की सुविधा भी देता है।

10. दूरसंचार विभाग : इस विभाग ने नए टेलीफोन कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान किया है। विभाग ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक पृथक प्राथमिकता की श्रेणी बनाई है जिसमें वे पंजीकरण के आवेदन कर सकते हैं। टेलीफोन के साथ किसी भी शिकायत या त्रुटि के मामले में वरिष्ठ नागरिक की शिकायत प्राथमिक आधार पर सुलझाई जाती है।

11. कानून मंत्रालय : कानून और न्याय मंत्रालय देश के उच्च न्यायालयों को निर्देश देता है कि वृद्ध लोगों के मामलों को प्राथमिकता दी जाए और सुनिश्चित किया जाए की उन्हें शीघ्रता से निपटाया जा रहा है।

वृद्धजनों के कल्याण हेतु कार्यरत गैर सरकारी संगठन :

हेल्पऐज इंडिया :

'हेल्पऐज इंडिया' भारत के प्रमुख सेवा केंद्र में से एक है जो पिछले 4 दशकों से समाज के वंचित बुजुर्गों के लिए काम कर रहा है। इसकी स्थापना 1978 में 'सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम 1860' नाम से की गई। भारत में बुजुर्गों की संख्या लगभग साढ़े दस करोड़ है। 'होमएज' उनकी जरूरतों जैसे कि यूनिवर्सल पेंशन, गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवा, दुर्व्यवहार के खिलाफ कार्रवाई, इत्यादि को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय, राज्यकीय और सामाजिक स्तर पर वकालत करता है। यह बुजुर्गों के लिए दोस्ताना नीतियों और उसके कार्यान्वयन के लिए वकालत करता है। यह वरिष्ठ नागरिक संघों के साथ मिलकर काम करने में बड़ी भूमिका निभाता है और साथ ही साथ उनके जरूरी चीजों की पूर्ति के लिए भी काम करता है। इसका उद्देश्य बुजुर्गों की समग्र आवश्यकताओं, जरूरतों को पूरा करना है, जिससे उन्हें सक्रिय, प्रतिष्ठित और स्वस्थ जीवन जीने में सक्षम बनाया जा सके। हेल्पऐज का ध्यान कल्याण से विकास की ओर है। यह बुजुर्गों को विभिन्न ऐजकेयर के माध्यम से राहत प्रदान करता है जैसे कि यह देश में अपने मोबाइल हेल्थकेयर यूनिटों के माध्यम से सबसे बड़े मोबाइल स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम चला रहा है जिससे वृद्धों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान कराया जा सके, इससे बुजुर्गों को काफी मदद मिलती है जिसके चलते बुजुर्गों के लिए स्वयं सहायता समूह का निर्माण किया जा सके। यह संस्था कॉन्ट्रैक्ट सर्जरी के द्वारा बुजुर्गों के लिए मोतियाबिंद सर्जरी को 'सपोर्ट-ए-ग्रैन' नमक कार्यक्रम के नाम से संचालन भी करवाता है ताकि इसकी शाखा का निर्माण किया जा सके और बुजुर्गों की सक्रिय उम्र बढ़ने के अवसरों एवं दुर्घटनाओं के बाद वृद्धों के लिए राहत और पुनर्वास की सुविधा भी प्रदान करता है।

एज केयर इंडिया: 'ऐज केयर इंडिया' देश में वृद्ध लोगों के कल्याण के लिए एक प्रमुख राष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठन है। यह जनवरी 1980 में भारत में कार्यरत है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न अनुभवों को एकत्रित कर समर्पित संस्थापक सदस्यों के समूह द्वारा 18 नवंबर 1980 को इस संस्था की स्थापना गैर-राजनैतिक, गैर-लाभकारी, धर्मनिरपेक्ष, चैरिटेबल, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कल्याण के लिए 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम XXI के तहत किया गया। यह संस्था स्थापना (18 नवंबर) के समय से ही अपने कार्यों कों लेकर एक

विशेष महत्व रखता है और ऐज-केयर इंडिया के इतिहास में एक मिल का पत्थर माना जाता है। सेवानिवृत्त और वृद्ध लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए इस संगठन को तैयार करने का विचार मूल रूप से इसके संस्थापक श्री एन. एल. कुमार ने किया था। इस संस्था की विशेषता यह है कि वृद्ध लोगों को सेवानिवृति के बाद जीवन को उचित आराम और शांति के साथ एक सुन्दर, सुखी और सम्मानित जीवन जीने में हर संभव मदद करना है। एज केयर इंडिया के कुल 1600 पंजीकृत सदस्य हैं। जबकि 'एज केयर इंडिया' के पास बहुत ही मजबूत संरक्षक हैं। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी मान्यता प्राप्त है और इसका नाम संयुक्त राष्ट्र की एजिंग के क्षेत्र में सक्रिय संगठनों की पुस्तिका में सूचीबद्ध किया गया है, 1988 संस्करण के अनुसार यह संस्था विश्व भर में 270 संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर आयुवृद्धि के क्षेत्र में सहयोग कर रहा है।यह संगठन विभिन्न क्षेत्रों में कार्य शुरू करने में पहला स्थान रखता है। यह संगठन विभिन्न क्षेत्रों में कार्य शुरू करने में पहला स्थान रखता है, हालांकि यह 1981 में शहरी गरीबों के लिए राजधानी में नि: शुल्क चिकित्सा स्वास्थ्य जांच शिविर शुरू करने वाली पहली एनजीओ थी और जल्द ही राष्ट्रीय महानगर के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में अपने नेटवर्क को फैलाने के लिए बहुत जरूरी स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराई थी वो भी उस वक्त जब ग्रामीण गरीब, जो लगभग किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की अनुपस्थिति में मौजूद नहीं थें। 'एज केयर इंडिया' की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष से अधिक उम्र के) का सम्मान करने के लिए प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से "एल्डर्स डे" का जश्न मनाया जाता है। पहली बार इस तरह का उत्सव 18 नवंबर, 1981 को संस्था की वार्षिक दिवस पर आयोजित किया गया था और इस उत्सव को पिछले 26 वर्षों से संस्था द्वारा मनाया जा रहा है। इसके अलावा, 'इंडिया इंटरनेशनल संस्था, नई दिल्ली' में 12 मई, 1981 को आयोजित एज-केयर सेमिनार में वृद्धजनों के लिए राष्ट्रीय नीति, 1981 को पुनः लागू करने की मांग को उठाने वाला पहला संस्थान है। इसके तुरंत बाद, संगठन ने अपनी विविध गतिविधियां शुरू किया जिसमें बुजुर्गों के लिए शहरी दिवस देखभाल केंद्र, आयु प्रासंगिकता और संबद्ध हितों के विषय पर नियमित सार्वजनिक व्याख्यान, परामर्श सेवाएं, बुजुर्गों के लिए वृद्धावस्था पेंशन, सम्मेलन और सेमिनार, वृद्धों की विविधतापूर्ण उभरती समस्याओं के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए सर्वेक्षण, स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए निबंध प्रतियोगिताएं, भाषण प्रतियोगिताएं, वृद्धावस्था में बुजुर्ग वृद्धों की नियुक्ति आदि जैसी कार्यक्रम शामिल हैं।

भारत में वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक स्थिति:

आज हमारे देश में समस्याओं के बढ़ने के अनेक कारण है जो हमारे समाज की ही देन है। भारतीय समाज एक ऐसा समाज है जहाँ वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान और आदर दिया जाता रहा है। लेकिन 21 वीं सदी में यह सम्मान और आदर कहीं गुम होता दिखायी दे रहा है। परिवारों का विघटन, उसका एकल परिवार में परिवर्तित होना इसका सबसे बड़ा कारण है जिसका असर वरिष्ठ नागरिकों पर पड़ा है। अब सवाल यह है कि ऐसी स्थिति में उनका देखभाल और भरण-पोषण कौन करेगा? वरिष्ठ नागरिकों को रोजाना अनेक समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है। जैसे- शारीरिक समस्या, आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या इत्यादि। इन परिस्थितियों को देखते हुए भारत सरकार द्वारा माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 पारित तो कर दिया गयापरन्तु क्या इस अधिनियम का लाभ वरिष्ठ नागरिकों मिल रहा है? यदि नहीं, तो भारतीय समाज को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए।